न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 128/2020 (2020/00661) दर्ज दिनांक 04.12.2020
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. मदनलाल पिता नानुराम ब्राह्मण निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. शंकरलाल पिता नानुरामब्राह्मण निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल रामाखेड़ा
3. प्रेमदेवी पुत्री नानुराम ब्राह्मण निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपीलाल पिता केशु ब्राह्मण निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. सुन्दरबाई बेवा रामचन्द्र रावनिवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री राजमल तिवारी

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय दिनांक:–05.01.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1214/2रकबा 1.08 हे0, आराजी संख्या 1274 रकबा 0.48 हे0, आराजी नं0 1273/1 रकबा 0.08 हे0 कुल किता 03 कुल रकवा 1.64 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 405पर दर्ज होकर स्थित हैं।भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075से 2078 संलग्न हैं।प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर [illegible] विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण [illegible] लगायत 3बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्य[illegible] पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:25:41 IST
Reason: SelfAttested

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना [illegible] अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को [illegible] किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

1.

भूमि स्थित है, [illegible]

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :–128/2020 (2020/00661)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1214/2 रकबा 1.08 हे0, आराजी संख्या 1274 रकबा 0.48 हे0, आराजी नं0 1273/1 रकबा 0.08 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.64 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 405 पर दर्ज होकर स्थित हैं।भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 600/– (छः सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 600/– (छः सौ रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भिलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:25:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner